

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना-15, दिनांक-16/1/18.

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-01-पुनर्वास, लघुशीर्ष-200- अन्य राहत उपाय उपशीर्ष-0003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय विपत्र कोड-39-2235012000003 मद में कुल ₹2,00,000.00 (दो लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2. इस का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-01-पुनर्वास, लघुशीर्ष-200- अन्य राहत उपाय उपशीर्ष-0003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटित/पूर्व आवंटित राशि का विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है:-

लघुशीर्ष-200-अन्य राहत उपाय।

उपशीर्ष-0003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय।

माँग संख्या-39 यूनिट कोड 35-01- नगद/वस्तु।

(राशि रूपये में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	योग
1	पटना	2,00,000 (दो लाख)	2,00,000 (दो लाख)	4,00,000 (चार लाख)

यह आवंटन जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 15 दिनांक 04.01.18 द्वारा की गई अधियाचना, उपलब्ध बजट उपबंध एवं विभागीय पत्रांक 3525/आ0प्र0 दिनांक 29.11.2017 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के तहत निर्गत किया जा रहा है। इस राशि से शीतलहरी की दशा में अलाव की व्यवस्था सभी शहरी/अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी। जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखें कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाये जाएं, जहाँ अधिक-से-अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं या एकत्र होते हैं। साथ ही, यह भी ध्यान रखें कि अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय, जहाँ अधिक-से-अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके।

3. आवंटित राशि का व्यय उसी मद के अन्तर्गत किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

4. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक

15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

5. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 [वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
7. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
8. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।
9. इस आवंटन आदेश की प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ" यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरन्त रिटर्न फैक्स से सूचना विभाग को भेज दी जाय।
10. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अपर सचिव

ज्ञापांक- 131 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 16/1/18
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 131 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 16/1/18
प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 131 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 16/1/18
प्रतिलिपि: प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक - 131 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 16/1/18
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के अप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 131 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 16/1/18
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान अप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव